ा की राज्यपाल तमिलसाई जन ने दिया इस्तीफा

: तेलंगाना की डुचेरी की लेफ्टिनेंट ईं सौंदरराजन ने

- लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त

ीय तट से ील (2,600 र करीब 40 आपरेशन के पूर्व माल्टीज ारिक जहाज दल के 17 कराया बल्कि लुटेरों को भी लिए मजबूर छ महीनों के जलक्षेत्र में लिए मददगार जहाजों को से छुड़ाया है मले से लगी दद की है।

त की

ा कि वरिष्ठ अगुआई ाखा की टास्क 16 मार्च को क्ट्री पर

नीतिक डोभाल

ा सलाहकार डोभाल ने क्षा के लिए के महत्व ाए सामूहिक दौरान उन्होंने ानिधियों और ाचीत भी की। में आयोजित तिक जुड़ाव संबोधित कर

क्ता ने एक्स डफेंस कालेज ायोजित होने देशों के 29 आठ भारतीय

ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल

दिल्ली जल बोर्ड मामला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार

महत्वपूर्ण है क्योंकि हम परिवार के रूप में एक साथ विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

मलबे में दबे होने की आशंका है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सोमवार को बताया कि इमारत

गया। घनी आबादी वाले इस इलाके में इमारत का मलबा आसपास की झुग्गियों पर गिरा।

सत्येंद्र जैन को आत्मसमर्पण करने का आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले फंसे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित

गिरफ्तारी के खिलाफ कविता पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं।

जेआईटीएफ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसज लिमिटेड
सीआईएन : U40300UP2010PLC069354
पंजीकृत कार्यालय : ए–1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कलान, मथुरा – 281403
दूरभाष 011–66463983/84;
फैक्स नं. 011–66463982;
ई–मेल alok.kumar@jindalitf.com
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनीअधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले मे

और

जेआईटीएफ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः ए–1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कलान, मथुरा – 281403 उत्तर प्रदेश में स्थित है के प्रकरण में

.....आवेदक

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कारपोरेट कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसरण में पंजीकृत कार्यालय को उत्तर प्रदेश क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानान्तरित करने के लिऐ इसके मेमोरेन्डम आफ एसोसिऐशन के अनुच्छेद – II में बदलीकरण जो कि कंपनी की असाधारण आम सभा दिनांक 29 फरवरी, 2024 में विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है कि अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष आवेदन दर्ज करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रारुप एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में फाईल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के द्वारा, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रायल बी–2 विंग दूसरा तल प. दीनद्रयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भजेगा।

कृते जेआईटीएफ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसज लिमिटेड
हस्ता/–
आलोक कुमार
कम्पनी सचिव

स्थान : कोसी कलान
तिथि : 19 मार्च, 2024

जेआईटीएफ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
सीआईएन : U70102UP2007PLC069540
पंजीकृत कार्यालय : ए–1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कलान, मथुरा – 281403
दूरभाष 011–66463983/84;
फैक्स नं. 011–66463982;
ई–मेल alok.kumar@jindalitf.com
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनीअधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले मे

और

जेआईटीएफ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः ए–1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कलान, मथुरा – 281403 उत्तर प्रदेश में स्थित है के प्रकरण में

.....आवेदक

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कारपोरेट कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसरण में पंजीकृत कार्यालय को उत्तर प्रदेश क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानान्तरित करने के लिऐ इसके मेमोरेन्डम आफ एसोसिऐशन के अनुच्छेद – II में बदलीकरण जो कि कंपनी की असाधारण आम सभा दिनांक 29 फरवरी, 2024 में विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है कि अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष आवेदन दर्ज करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रारुप एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में फाईल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के द्वारा, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रायल बी–2 विंग दूसरा तल प. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भजेगा।

कृते जेआईटीएफ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
हस्ता/–
धीरज कुमार
कम्पनी सचिव

स्थान : कोसी कलान
तिथि : 19 मार्च, 2024

जेआईटीएफ इन्फ्राल्जिस्टिक्स लिमिटेड
सीआईएन : L60231UP2008PLC069245
पंजीकृत कार्यालय : ए–1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कलान, मथुरा – 281403
दूरभाष 011–66463983/84;
फैक्स नं. 011–66463982;
ई–मेल alok.kumar@jindalitf.com
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनीअधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले मे

और

जेआईटीएफ इन्फ्राल्जिस्टिक्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः ए–1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कलान, मथुरा – 281403 उत्तर प्रदेश में स्थित है के प्रकरण में

.....आवेदक

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कारपोरेट कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसरण में पंजीकृत कार्यालय को उत्तर प्रदेश क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानान्तरित करने के लिऐ इसके मेमोरेन्डम आफ एसोसिऐशन के अनुच्छेद – II में बदलीकरण जो कि कंपनी की असाधारण आम सभा दिनांक 29 फरवरी, 2024 में विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है कि अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष आवेदन दर्ज करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रारुप एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में फाईल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के द्वारा, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रायल बी–2 विंग दूसरा तल प. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भजेगा।

कृते जेआईटीएफ इन्फ्राल्जिस्टिक्स लिमिटेड
हस्ता/–
आलोक कुमार
कम्पनी सचिव

स्थान : कोसी कलान
तिथि : 19 मार्च, 2024

जिन्दल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड
(पूर्व में जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (तिरुपति) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सीआईएन : U40300UP2015PLC075372
पंजीकृत कार्यालय : ए–1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कलान, मथुरा – 281403
दूरभाष 011–66463983/84;
फैक्स नं. 011–66463982;
ई–मेल alok.kumar@jindalitf.com
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनीअधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले मे

और

जिन्दल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (पूर्व में जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (तिरुपति) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालयः ए–1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कलान, मथुरा – 281403 उत्तर प्रदेश में स्थित है के प्रकरण में

.....आवेदक

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) कारपोरेट कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसरण में पंजीकृत कार्यालय को उत्तर प्रदेश क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानान्तरित करने के लिऐ इसके मेमोरेन्डम आफ एसोसिऐशन के अनुच्छेद – II में बदलीकरण जो कि कंपनी की असाधारण आम सभा दिनांक 29 फरवरी, 2024 में विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है कि अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष आवेदन दर्ज करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रारुप एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में फाईल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के द्वारा, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रायल बी–2 विंग दूसरा तल प. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भजेगा।

कृते जिन्दल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (पूर्व में जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (तिरुपति) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
हस्ता/–
आलोक कुमार
निदेशक

स्थान : कोसी कलान
तिथि : 19 मार्च, 2024